राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4(ई)/(294/88)/अलेसे–III/2591

दिनांक :- 6-12-18

आदेश संख्या...255/2018–19

श्री लालचंद सोनी, (मेरिट नं. 294/88) कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर को भ्ष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर द्वारा रूपये 60,000/– की रिश्वत लेने के प्रकरण में दिनांक 18.09.2015 को ट्रेप किये जाने एवं न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण विभाग के आदेश क्रमांक 10714–719 दिनांक 24.09.2015 के द्वारा दिनांक 18.09.2015 से निलंबित किया गया था।

श्री लालचंद सोनी, निलंबित क0लेखाकार को निलंबन से बहाली के संबंध में कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157) कार्मिक/क–2/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23) प्रसु/अनु–3/99 दिनांक 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन में बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 26.09.2018 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2 (3)वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 28.09.2018 के द्वारा प्रेषित उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार श्री लालचंद सोनी को निलम्बन से बहाली का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के फलस्वरूप श्री लालचंद सोनी, (निलम्बित) क0लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाता है।

श्री लालचंद सोनी के निलम्बन की अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।

उक्त आदेश राजस्थान विधानसभा आम चुनाव–2018 के लिए जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते सक्षम अनुमोदन उपरांत जारी किये जाते है।

6/12-18

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई)/(294/88)/अलेसे–III/2591

दिनांक :- 6-12-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर को पत्र क्रमांक प.2(3) विता/राजस्व/2014 दिनांक 28.09.2018 के क्रम में।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।
3. अति.पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।
4. उप कोषाधिकारी, फलौदी (जोधपुर)।
5. अतिरिक्त निजी सहायक निदेशक महोदय।
6. श्री लालचंद सोनी क.ले. मुख्यालय उपकोष कार्यालय फलौदी (जोधपुर)।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/
8. कंम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर प्रकाशन एवं पीआईएस में दर्ज करने हेतु)।
9. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)